बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

33

कमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /2011/2793 दिनांक : 2.12.2011

परिपत्र – 12/2011

विषयः– फार्म "एफ" की ऑडिट का कार्य जिला समन्वयक द्वारा संपादन कराया जाकर विधिक कार्यवाही करने के संबंध में।

1. निदेशालय के यह ध्यान में आया है कि जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में फॉर्म "एफ" ऑडिट हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर, ऐजेन्सी के मार्फत लिये जाने की स्वीकृति, निदेशालय से प्रदान किये जाने के पश्चात् भी जिलों में फॉर्म "एफ" की ऑडिट का कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक के द्वारा फॉर्म "एफ" की ऑडिट की जाकर, पायी गयी कमियों पर ऑडिट रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करते हुये विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कराने का दायित्व है, जो कि जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है फलस्वरूप संबंधित समुचित प्राधिकारी को वास्तविक स्थिति की जानकारी का अभाव रहता है एवं अभिलेख संधारण में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये गये उल्लंघन की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

2. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 (इसके पश्चात अधिनियम संबोधित किया जायेगा) की धारा 4(3) के अनुसार "गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति ऐसे तरीके में, जिसे विहित किया जायें, क्लीनिक में उसका पूर्ण रिकार्ड रखेगा, और उसमें पायी गयी कोई भी कमी या अयर्थाथता अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों के उल्लघंन में परिणामित होगा, जब तक की ऐसी अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिकूलता साबित नहीं हों"। अभिलेख में पायी गयी कमी या अयथार्थता के संबंध में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Vs. State of Gujarat (2009CriLJ721) में दिनांक 30.09.2008 को निर्णित निम्न विवाद्यक तथ्यों का निर्धारण किया गया है:–

(i) Whether the burden lies on the authority to prove that there was contravention of the provisions of Section 5 and 6 of the PNDT Act ?
(ii) Whether any deficiency or inaccuracy in filling Form-F as required under the statutory provisions is merely a procedural lapse?

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक तथ्यों पर निम्न प्रकार से निर्णय दिया गया :–

(i) In a case based upon allegation of deficiency or inaccuracy in maintenance of record in the prescribed manner as required under Sub-section (3) of Section 4 of the PNDT Act, the burden to prove that there was contravention of the provisions of Section 5 or 6 does not lie upon the prosecution.
(ii) Deficiency or inaccuracy in filling Form F prescribed under Rule 9 of the Rules made under the PNDT Act, being a deficiency or inaccuracy in keeping record in the prescribed manner, it is not a procedural lapse but an independent offence amounting to contravention of the provisions of Section 5 or 6 of the PNDT Act and has to be treated and tried accordingly. It does not, however, mean that each inaccuracy or deficiency in maintaining the requisite record may be as serious as violation of the

provisions of Section 5 or 6 of the Act and the Court would be justified, while imposing punishment upon conviction, in taking a lenient view in cases of only technical, formal or insignificant lapses in filling up the forms.

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को अभिलेख का संधारण किया जाना आवश्यक है तथा अभिलेख संधारण पर पर्यवेक्षण एवं फार्म "एफ" की ऑडिट का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है एवं इसके आधार पर केन्द्रों द्वारा प्रत्येक की गयी सोनोग्राफी के अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण रखा जाकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करायी जा सकती है। अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के परिपेक्ष्य में अभिलेख की ऑडिट में पाये गये उल्लघंन/साशय लोप का निर्धारण माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जावें।

3. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह में "सभी पंजीकृत केन्द्रों द्वारा भेजे गये" फॉर्म "एफ" की ऑडिट की जाकर, उसका विवरण अगले माह की 5 तारीख तक संलग्न प्रारूप (प्रारूप 'क' एवं 'ख') में निदेशालय भिजवाया जावें। सामान्तया एक दिवस में 100 फार्म 'एफ' की ऑडिट की जा सकती है, एवं जिला समन्वयक द्वारा रोस्टर के आधार पर यह सुनिश्चित किया जावें की प्रत्येक केन्द्र के हर माह में कम से कम 50 फार्म 'एफ' की ऑडिट का कार्य क्रमानुसार अवश्य संपन्न किया जावें। इस प्रकार प्रत्येक माह मे 50 केन्द्रो के फार्म 'एफ' की ऑडिट का कार्य संपन्न कराया जावें एवं जहां पर 50 से अधिक पंजीकृत केन्द्र है वहां पर रोस्टर के आधार पर क्रमानुसार प्रत्येक केन्द्र द्वारा भेजें गये फार्म 'एफ' की ऑडिट का कार्य सुनिश्चित कराया जावें। सोनोग्राफी रजिस्टर तथा फार्म "एफ" में उपलब्ध सूचना का तुलनात्मक रूप में परीक्षण किया जाकर अभिलेख में कमी तथा अयथार्थता का आंकलन किया जावें। निरीक्षण कार्यवाही के समय प्राप्त अभिलेख की ऑडिट के क्रम में सोनोग्राफी रजिस्टर की ऑडिट प्रपत्र 'ग' एवं 'घ' (संलग्न) के अनुसार एवं रसीद बुकों की ऑडिट प्रपत्र 'ड' (संलग्न) के अनुसार संपन्न कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

4. अतः निर्देशानुसार लेख है उपरोक्त दिशा निर्देशों कि पालना की जाकर, प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा केन्द्रों के फार्म "एफ" की ऑडिट का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जावें एवं संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी के द्वारा ऑडिट कार्य अपने निकटतम पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाकर, अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप पालना की जाना सुनिश्चित किया जावें। प्रत्येक माह में किये गये फॉर्म एफ की ऑडिट का विवरण अगले माह की 5 तारीख तक निदेशालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। उक्त आदेश की किसी भी प्रकार से अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है एवं तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार "प्रपत्र"।

निदेशक (प0क0)एवं
राज्य नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव (प0क0) एवं अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी जयपुर।
3. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. उप निदेशक आर.सी.एच. एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
7. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र 'क'

38

संस्था का नाम तथा पता, जिला.....

फार्म "एफ" में पीसीपीएनडीटी एक्ट/नियमों के उल्लंघन से संबंधित पाई गई अनियमितताओं/साशय अवैध लोप की सूचना

बिन्दू सं.	अनियमितताओं का विवरण	फार्म "एफ" का कॉलम नं.	योग सामान्य लोप
1	क्लिनिक का नाम व पता अंकित नहीं है	1	
2	रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नहीं है	2	
3	रोगी का नाम व उम्र अंकित नहीं है	3	
4	कुल बच्चों की संख्या मय लिंगवार की सूचना अंकित नहीं है	4	
5	पति/पिता का नाम अंकित नहीं है	5	
6	पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर यदि हो अंकित नहीं है	6	
7	रेफरल डॉ0 का नाम व पता एवं रेफरिल स्लिप उपलब्ध नहीं है	7	
8	अंतिम महावारी की अवधि/गर्भ के सप्ताह की सूचना अंकित नहीं है	8	
9	परिवार के आनुवंशकीय/चिकित्सकीय रोग का विवरण अंकित नहीं है	9	
10	गर्भ पूर्व निदान के संकेतक अंकित नहीं है	10	
11	डॉ0 का नाम, रजिस्ट्रेशन नं0 जिनके द्वारा प्रकिया पूर्ण की गई का विवरण अंकित नहीं है	11	
12	प्रकिया में यदि कोई जटिलता हो का विवरण अंकित नहीं है	12	
13	प्रयोगशाला परीक्षण अभिशंसित किये गये हो का विवरण अंकित नहीं है	13	
14	प्रसव पूर्व निदान प्रकिया के परिणाम का विवरण अंकित नहीं है	14	
15	प्रकिया पूर्ण की गई की दिनांक अंकित नहीं है	15	
16	सहमति प्राप्त करने की दिनांक अंकित नहीं है (In case of invasive)	16	
17	प्रसव पूर्व निदान प्रकिया के परिणाम को सूचित करने की दिनांक/व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है	17	
18	एमटीपी की सलाह/पूर्णता की गई का विवरण-अंकित नहीं है	18	
19	एमटीपी करने की दिनांक अंकित नहीं है	19	
20	डॉ0 का नाम/हस्ताक्षर/रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नहीं है	Detl. Dr.	
21	फार्म "एफ" भरने की दिनांक/स्थान अंकित नहीं है	Dt. Place	
22	गर्भवती महिला की घोषणा मय हस्ताक्षर के अंकित नहीं है	DOPW	
23	सोनोग्राफी करने वाले डॉ0 का घोषणा पत्र मय नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं है	DD	
कुल "एफ" फार्म –	कुल योग साशय लोप/उल्लंघन		

संकेत :–

Details of Doctor = Detl. Dr.
Date & Place = Dt. Place
Declaration of Pregnant Woman = DOPW
Declaration of Doctor = D.D

प्रपत्र 'ख '

संस्थान का नाम एवं पता फार्म "एफ" में पीसीपीएनडीटी एक्ट/नियमों के उल्लंघन से संबंधित पाई गयी अनियमितताओं/साशय अवैध लोप की सूचना (दिनांक से दिनांक तक)																									
क्र. सं.	दिनांक	मरीज का नाम	अनियमितताओं/साशय अवैध लोप बिन्दुवार कमांक																						कुल लोप
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																										
2																										

INDICATION :- NO = N YES = Y
अधिनियम की पालना किया जाना:– YES = Y
अधिनियम की पालना नही किया जाना :– NO = N

उपरोक्त प्रारूप में फार्म 'एफ' को क्रमांक देते हुए प्रारूप में दिनांक एवं मरीज का नाम भरा जावें! 1 से 23 बिंदू तक प्रारूप 'क' में वर्णितानुसार एंव अधिनियम के अंतर्गत फार्म 'एफ' के निर्धारित प्रारूप को आधार मानकर अधिनियम की पालना नही की जाकर लोप पाये जाने पर N एवं अधिनियम की पालना की जाकर लोप नही पाये जाने पर Y भरा जावें। इसी प्रकार क्रम संख्या में पाये गये लोप कुल लोप के नीचे अंकित किये जावें एंव बिंदू संख्या में पाये गये लोप का सर्व योग के सामने अंकित किये जावें।

प्रपत्र 'ग'
संस्था का नाम एवं पता
रजिस्टर के संधारण में पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप का लेखा
(दिनांक से दिनांक तक)

रजिस्टर का संधारण देखे नियम 9(1)			
क्रम संख्या	पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप का विवरण	रजिस्टर का कॉलम नं.	कुल अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप
1	क्रम संख्या	1	
2	स्त्री अथवा पुरुष का नाम एवं पता	2	
3	जाँच	3	
4	पिता अथवा पति का नाम	4	
5	जाँच की दिनांक	5	
6	रजिस्टर में इंद्राज लेकिन 'एफ' फॉर्म उपलब्ध नहीं	6	
	कुल अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप		

प्रपत्र 'घ'

संस्था का नाम एवं पता

रजिस्टर के संधारण में पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप का लेखा

(दिनांक से दिनांक तक)

रजिस्टर का संधारण देखे नियम 9(1)

क्र. सं.	रजिस्टर की क्रम संख्या	दिनांक	नाम	पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप का कॉलम वार विवरण						कुल लोप
				1	2	3	4	5	6	
				क्रम संख्या	स्त्री अथवा पुरुष का नाम एवं पता	जाँच	पिता अथवा पति का नाम	जाँच की दिनांक	रजिस्टर में इंद्राज लेकिन 'एफ' फॉर्म उपलब्ध नहीं	
1										
2										
लोप का सर्व योग										
Indications :- No=N, Yes=Y										
0= 0 ILLEGAL OMISSION/VIOLATION										
नोट :										

उपरोक्त प्रारूप में रजिस्टर में लिखी गयी प्रत्येक प्रविष्टियों की ऑडिट की जावें। अधिनियम की पालना नही की जाकर लोप पाये जाने पर N एवं अधिनियम की पालना की जाकर लोप नही पाये जाने पर Y भरा जावें। इसी प्रकार पाये गये लोप का सर्व योग प्रारूप की दायें कॉलम में अंकित किया जावें। नोट वाले कॉलम में अगर कोई विशेष नोट की जाने वाली टिप्पणी हो तो अंकित की जावें जैसे की रजिस्टर में नाम होने के उपरांत भी फार्म 'एफ' नही पाया जाना इत्यादि।

प्रपत्र 'ड'

संस्था का नाम एंव पता

केन्द्र से सीज की गयी रसीदों बुकों में उपलब्ध विवरण

क्र.सं.	रसीद का नं.	दिनांक	मरीज का नाम, उम्र एवं लिंग	की जाने वाली जाँच का विवरण	प्राप्त राशि	फार्म 'एफ' संधारित किया या नहीं Y/N
1						
2						
3						
नोट:						

नोट :– ऑडिट में पाये उल्लंघन के बारे में विस्तृत तथा स्पष्ट नोट प्रत्येक तालिका के नीचे अलग से स्पष्टीकरण के रूप में अंकित किया जावे ताकि उल्लंघन को भलीभांति उल्लेख किया जाकर स्पष्ट किया जा सके।